न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–03, भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : पवन कुमार काला (D.J.Cadre)

आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या : **760/2026**

CNR No. RJBW010019902026

1– धनराज पुत्र देवीलाल, निवासी शिव मंदिर के पास, गुवारडी थाना मंगरोप जिला भीलवाडा
2– देवराज पुत्र किशन, निवासी गुर्जर मोहल्ला, गुवारडी थाना मंगरोप जिला भीलवाडा
3– राजेश पुत्र शंकरलाल, निवासी गुवारडी थाना मंगरोप जिला भीलवाडा
4– भैरूलाल पुत्र धन्नालाल, निवासी गुवारडी थाना मंगरोप जिला भीलवाडा

....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, भीलवाड़ा

......अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
(सही प्रावधान धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बसंबंध

(A) प्रकरण का विवरण	
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या एवं दिनांक	124/2026
पुलिस थाना	मंगरोप जिला भीलवाडा
अपराध अंतर्गत धारा	303(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट
अधिकतम निर्धारित दण्ड	सात वर्ष व जुर्माना

(B) अभिरक्षा एवं प्रक्रिया संबंधी अनुपालन	
गिरफ्तारी की तिथि	12.06.2026 (समस्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण)
अब तक व्यतीत कुल अभिरक्षा अवधि	05 दिवस

(C) विचारण की स्थिति	
कार्यवाही की वर्तमान अवस्था	अनुसंधान

(अनुसंधान/चालान प्रस्तुत/संज्ञान/आरोप निर्धारण/विचारण)	
चालान में उल्लेखित कुल अभियोजन साक्षियों की संख्या	——
अब तक परीक्षित अभियोजन साक्षियों की संख्या	——

(D) आपराधिक पूर्ववृत्त	
प्रार्थी/अभियुक्त धनराज	
(1)	
प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	159/23 थाना मंगरोप
धाराये	341, 323, 427/34 भा.द.स.
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	——
(2)	
प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	58/25 थाना मंगरोप
धाराये	4/6 आरएनसी एक्ट
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	——

प्रार्थी/अभियुक्त देवराज	
प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	143/25 महिला थाना, भीलवाडा
धाराये	85, 316(2), 82(1), 49 बीएनएस
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	——

प्रार्थी/अभियुक्त राजेश	
(1)	
प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	52/13
धाराये	143, 332, 353 भादस व धारा 3 पीडीपी
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	——
(2)	

प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	117/15
धाराये	447, 323, 427, 34 भादस
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	——
(3)	
प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	78/17 थाना हमीरगढ
धाराये	4/25 आर्म्स एक्ट
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	——
(4)	
प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	103/2020 थाना मंगरोप
धाराये	458, 341, 323, 427, 504 भादस
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	——
(5)	
प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	58/21 थाना राशमी (चित्तौडगढ)
धाराये	379 भादस व धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	——

प्रार्थी/अभियुक्त भैरूलाल	
प्राथमिकी संख्या एवं पुलिस थाना	188/26 थाना मंगरोप
धाराये	303(2), 61(2) बीएनएस, धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट व धारा 50सी/146 एमवी एक्ट
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	——

(E) पूर्व जमानत आवेदन	
न्यायालय	NIL
प्रकरण संख्या	NIL
परिणाम	NIL

(F) दण्डात्मक/बलपूर्वक कार्यवाही	
क्या कोई गैर/जमानती वारण्ट जारी किया गया है ?	NIL
क्या अभियुक्त को उदघोषित अपराधी घोषित किया गया है ?	NIL

उपस्थित :

1– श्री सुरेश व्यास, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से
2– विद्वान अपर लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से

आदेश **दिनांक : 16.06.2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस माननीय सेशन न्यायालय, भीलवाडा में प्रस्तुत किया गया जो अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

तथ्यात्मक स्थिति :–

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना मंगरोप के उनि विजय मीणा ने दि. 12.06.26 को पुलिस थाना मंगरोप पर पर्चा कायमी इस आशय का दर्ज कराया कि आज वह मय जाप्ता सरकारी वाहन के गश्त करता हुआ गांव दर्री पहुंचा जहां जरिये मुखबिर सूचना मिली की दर्री में जालम सिंह के फार्म के नीचे की तरफ बनास नदी से ट्रेक्टर ट्रोली में बजरी भरी है जिसकी तीन व्यक्ति निगरानी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर दर्री गांव से जालम सिंह के फार्म के पास होते हुए बनास नदी पहुंचे जहां एक ट्रेक्टर ट्रोली में एक व्यक्ति बजरी भरता हुआ नजर आया जो पुलिस वाहन को देखकर बजरी के ट्रेक्टर को गुवारडी गांव की ओर भगाने लगा जिसका पीछा कर उसे पकडा तो उसने अपना नाम धनराज पिता देवीलाल निवासी शिवमंदिर के पास गुवारडी होना बताया। इतने में तीन व्यक्ति स्कूटी लेकर मौके पर आये और ट्रेक्टर को स्वयं का होना बताने लगे तथा उन्होंने बताया कि वे स्कूटी से पुलिस की रेकी कर चोरी छिपे बनास नदी से बजरी भरकर चोरी करते हैं। उक्त तीनों व्यक्तियों ने अपने नाम देवराज पिता किशन गुर्जर, राजेश पिता शंकरलाल व भैरूलाल पिता धन्नालाल बताया। इस प्रकार उक्त चारों व्यक्तियों द्वारा संगठित अपराध कर बनास नदी में अवैध बजरी

खनन/परिवहन करना पाये जाने पर धारा 303(2), 112(2) बीएनएस व 4/21 एमएमडीआर में अपराध पाये जाने से मौके पर ही अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया व ट्रेक्टर ट्रोली को जब्त किया इत्यादि। उक्त पर्चा कायमी के आधार पर पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 124/26 अपराध धारा 303(2), 112(2) बीएनएस व 4/21 एमएमडीआर में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गिरफ्तारी की दिनांक से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बीएनएसएस न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम) भीलवाडा द्वारा दि. 13.06.26 को अस्वीकार किया गया।

बहस के तर्क :–

3. बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

4. बहस के दौरान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। उन्होंने कोई अवैध बजरी का खनन नहीं किया है। प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अब किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। अंत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए खारिज किए जाने का निवेदन किया।

विनिश्चय :–

6. बहस के तर्कों पर गौर किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में बनास नदी से अवैध बजरी खनन/परिवहन करना मानते हुए उन्हें धारा 303(2), 112(2) बीएनएस व 4/21 एमएमडीआर के अंतर्गत आरोपित किया गया है। प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण गिरफ्तारी की दिनांक 12.06.26 से निरन्तर अभिरक्षा में है। प्रकरण में आगामी अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त

तथ्यों–परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का अभिमत व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित समझता हूॅं।

निष्कर्ष :–

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण धनराज, देवराज, राजेश व भैरूलाल की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उनके सन्तोषानुसार पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो–दो जमानतें एवं पचास–पचास हजार रूपये की राशि के स्वयं के मुचलके पेश कर तस्दीक करा दिया जावें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(पवन कुमार काला)

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दि. 16.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार काला)